संख्या:124/2026/735/35-4-2026/ 35-4002(003)/3/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 22 अप्रैल, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-प्रयागराज में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की **रू. 2339.75 लाख** (रूपये तेईस करोड़ उनतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू. 1169.77 लाख** (रूपये ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख सतहत्तर हजार मात्र) जिलाधिकारी- प्रयागराज के निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ग्राम-उसरी आदिवासी बस्ती के सामने में देवीबांध खोचा माईनर पर बैजनाथ बिहारी के चक के सामने पुलिया निर्माण कार्य।	1 नं0	5.96	2.98	ग्रा0अ0वि0
2	ग्राम - जोरवट से कचनपुर मार्ग पर बीच मे ठाकुर तारा के पास पुलिया निर्माण कार्य।	1 नं0	16.08	8.04	ग्रा0अ0वि0
3	ग्राम जोर बड्डीहा पटपर में रपटा (पुलिया) निर्माण कार्य।	1 नं0	57.08	28.54	ग्रा0अ0वि0
4	ग्राम -मड़फा कला में नयन मिश्रा पुत्र सर्वेश मिश्रा के सामने पुलियां निर्माण का कार्य	1 नं0	14.39	7.19	ग्रा0अ0वि0
5	ग्राम-इसौटा मे कछवा नाले पर पुलिया निर्माण कार्य।	1 नं0	55.92	27.96	ग्रा0अ0वि0
6	ग्राम-लौवाकोन में बसौरा आदिवासी बस्ती के रास्ते पर पुलिया निर्माण कार्य।	1 नं0	5.96	2.98	ग्रा0अ0वि0
7	ग्राम -भौसरा जागीर में आदिवासी बस्ती पर पुलिया निर्माण कार्य।	1 नं0	18.72	9.36	ग्रा0अ0वि0
8	उत्तर जीवी विकास समिति हरदिहा मेजा प्रयागराज ग्राम -हरिदया में कम्युनिटी सेन्टर निर्माण कार्य।	1 नं0	39.25	19.62	ग्रा0अ0वि0
9	परिवर्तन आजीविका महिला संकुल संघ, ग्राम-अंतरी किसमी पथरताल में कम्युनिटी सेन्टर निर्माण कार्य	1 नं0	39.25	19.62	ग्रा0अ0वि0
10	उडान आजीविका महिला संकुल संघ ग्राम-बहरैचा मे कम्युनिटी सेन्टर निर्माण कार्य।	1 नं0	39.25	19.62	ग्रा0अ0वि0
11	ग्राम पूरा पाण्डेय मे दिनेश पाण्डेय के घर से	680	48.45	24.22	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	आदिवासी बस्ती तक इण्टरलाकिंग का कार्य।				
12	ग्राम-बसहरा के ललई का पूरा मे काली सड़क से राज कुमार कोल के घर से संगम कोल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	800	51.22	25.61	ग्रा0अ0वि0
13	ग्राम -संसारपुर में बडके कुम्हार के घर से राजमनी के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	500	34.77	17.38	ग्रा0अ0वि0
14	ग्राम -गडेवरा में श्याम जी (ट्रांसफार्मर) के घर से पहाडी होते हुए राम कुमार कोल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	1000	78.91	39.45	ग्रा0अ0वि0
15	ग्राम सभा देवापुर प्राथमिक विद्यालय से रेलेव लाईन की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	500	31.99	15.995	ग्रा0अ0वि0
16	ग्राम सभा कसेरूओ खुर्द गुलाब सिंह के पेट्रोल पम्प के सामने से होते हुए हरिजन बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	530	38.81	19.405	ग्रा0अ0वि0
17	ग्राम पंचायत बगई कला मनापुर मजरा स्थित मार्ग से पल्टू भारतीय के घर की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	38.75	19.375	ग्रा0अ0वि0
18	ग्राम सभा तारडीह गुलहरिया मजरा स्थित सुशील पाण्ठेय के घर से भारतीया बस्ती होते हुए बिन्द व शर्मा बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	525	34.32	17.16	ग्रा0अ0वि0
19	ग्राम सभा धरौली काली सडक रामलीला मैदान से अवधेश सिंह के घर होते हुए पटेल व बिन्द सम्पर्क मार्ग की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	270	17.45	8.725	ग्रा0अ0वि0
20	लाल बहादुर पटेल के घर से चैरा होते हुए पटेल बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	500	32.24	16.12	ग्रा0अ0वि0
21	ग्राम सभा कोटवा मुन्ना सूर के घर के बगल से दलापुर सम्पर्क मार्ग की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	370	28.17	14.085	ग्रा0अ0वि0
22	ग्राम सभा वीकपुर मनोज भारतीय के घर से सुठानपुर सम्पर्क मार्ग के ओर इण्टरलांकिग निर्माण कार्य।	500	30.98	15.49	ग्रा0अ0वि0
23	ग्राम सभा यरना में काली सडक करौदा भानू प्रताप सिंह के मशीन से राजू प्रजापति के घर से भारतीय बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	545	34.26	17.13	ग्रा0अ0वि0
24	वार्ड नं0- 45 छतनाग उस्तापुर महमूदाबाद मे शिरोमणि धाम की ओर व गंगादीप कालोनी के नारायण गेसट हाउस वाली गली एंव साई विहार कालोनी में शर्मिला शार्म के घर से साधना तिवारी के घर की ओर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	58.66	29.33	ग्रा0अ0वि0
25	ग्राम सभा तुलापुर पक्की से ब्राहम्ण बस्ती होते हुए भारतीय बस्ती व अन्य बस्ती की ओर इण्टरलंकिंग निर्माण कार्य।	500	31.45	15.725	ग्रा0अ0वि0
26	ग्राम सभा रमई पुर शम्भूनाथ विश्वकर्मा के घर से दलापुर काली रोड होते हुए बिन्द बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	33.86	16.93	ग्रा0अ0वि0
27	ग्राम सभा बौडई सम्पर्क मार्ग से बिन्द बस्ती होते हुए अन्य बस्ती की ओर सिथत सम्पर्क मार्ग की ओर इण्टरलाकिं निर्माण कार्य।	514	33.04	16.52	ग्रा0अ0वि0
28	ग्राम सभा वार्ड नं-06 कनिहार कुआंडीह मनोज सिंह के मशीन से काली रेाड से सरपतीपुर की ओर	500	32.59	16.295	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।				
29	ग्राम सभा करनपुर प्रेमचन्द्र गुप्ता के घर से सीहीपुर सम्पर्क मार्ग की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	32.19	16.095	ग्रा0अ0वि0
30	तहसील बारा अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कार्य।	1 नं0	68.3	34.15	ग्रा0अ0वि0
31	तहसील बारा मे सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्य।	1 नं0	64.9	32.45	ग्रा0अ0वि0
32	विकास खण्ड शंकरगढ के ग्राम पंचायत जनवना के मौजा लेदर मे राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से पंकज मिश्रा के घर से दलित बस्ती तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	504	26.56	13.28	ग्रा0अ0वि0
33	विकास खण्ड शंकरगढ के ग्राम कोटा की सरहद उसरी नदी से सोनवे गांव की पुलिया तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	450	22.48	11.24	ग्रा0अ0वि0
34	विकास खण्ड शंकरगढ के ग्राम पंचायत चुंदवा के ग्राम तालापार में जयनारायण सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	280	14.92	7.46	ग्रा0अ0वि0
35	विकास खण्ड जसरा मे पहाडी गींज के बीच में शिमला तिवारी के घर से बव्वन के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	330	21.97	10.98	ग्रा0अ0वि0
36	विकास खण्ड जसरा में करकोहला नहर से हडहा जारी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	600	30.19	15.09	ग्रा0अ0वि0
37	विकास खण्ड शंकरगढ के ग्राम पंचायत देवरी बेनी के मुख्य सडक से शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	700	33.64	16.82	ग्रा0अ0वि0
38	विकास खण्ड जसरा के ग्राम पंचायत मैदा से नारायण नगर दलित बसती तक इण्टरलांकिग का निर्माण कार्य।	720	38.7	19.35	ग्रा0अ0वि0
39	विकास खण्ड जसरा के ग्राम पंचायत लोटाढ में जारी रैपुरा माईनर से ग्राम पंचायत लोटाढ तक इण्टरलाकिंग कार्य।	700	32.81	16.4	ग्रा0अ0वि0
40	विकास खण्ड कोधियारा के ग्राम पंचायत बेनीपुर सम्पर्क मार्ग से छोटे लाल कनोजिया के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	400	20.21	10.1	ग्रा0अ0वि0
41	विकास खण्ड कौधियारा के ग्राम पंचायत कुआं मे राजेन्द्र कुशवाहा के घर से छोटे लाल कुशवाहा के घर होते हुए नहर की पुलिया तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	630	29.89	14.94	ग्रा0अ0वि0
42	विकास खण्ड जसरा के ग्राम पंचायत बडा कंजासा में लालापुर काली रोड से विनोद निषाद के इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	500	23.56	11.78	ग्रा0अ0वि0
43	विकास खण्ड शकरगढ के ग्राम धवइया मे नारी बारी शंकरगढ मुख्य मार्ग से डा0 गंगा सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	400	24.1	12.05	ग्रा0अ0वि0
44	विकास खण्ड जसरा के ग्राम कूडी मुख्य सडक से रणबहादुर सिंह के घर से होते हुए श्री रामदुलाल सिंह पूर्व कृषि राज्य मंत्री के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	572	27.39	13.69	ग्रा0अ0वि0
45	विकास खण्ड शंकरगढ के ग्राम पंचायत अकौरिया के मौजा पूरे गंगाछ मे रामकिशोर दलित के दरवाजे से गांधी आदिवासी चैराहे होते हुए शंकर सिंह व उदय	700	33.47	16.73	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	बहादुर सिंह के दरवाजे होते हुए बसन्त लाल आदिवासी के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।				
46	गाम पंचायत सुरवा दलापुर के मजरा दलापुर विकास खण्ड माण्डा से नहर से मुस्लिम बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	220	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
47	ग्राम पंचायत तिगजा विकास खण्ड मेजा में राम लल्लू के घर से रमाकान्त के घर होते हुए सदानन्द के घर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	210	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
48	ग्राम पंचायत मरहा मेजिया विकास खण्ड मेजा में राम सजीवन मौर्य के घर से कनौजिया बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	200	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
49	ग्राम पंचायत परानीपुर के मजरा दशरथपुर विकास खण्ड उरूवा मे नरायन के घर से काशीराम के घर होते हुए निषाद बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	220	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
50	ग्राम पंचायत खुरमा विकास खण्ड माण्डा मे राम सजीवन बिन्द के घर से पंचाम लला प्रजापति के चक की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	230	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
51	ग्राम पंचायत रूदापुर विकास खण्ड उरूवा में रमेश बिन्द के घर से लवकुश के घर होते हुए मोहन लाल व दयाशंकर के चक की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	250	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
52	ग्राम पंचायत पटटीनाथराय विकास खण्ड उरूवा में प्रा0वि0 के पीछे रमा बहादुर पासी के घर से मिश्री लाल पासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	210	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
53	ग्राम पंचायत मदरा मुकन्दपुर के मजरा -दाढी विकास खण्ड उरूवा मे काली रोड से मन्दिर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	230	11.73	5.86	ग्रा0अ0वि0
54	ग्राम पंचायत टूडिहार मजरा श्री का पूरा विकास खण्ड उरूवा में काली रोड से मन्दिर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	220	11.78	5.89	ग्रा0अ0वि0
55	ग्राम पंचायत सेमरहा उपरहार में काली रोड से गंगा घाट तक सडक निर्माण कार्य	600	46.24	23.12	ग्रा0अ0वि0
56	गाम सभा मुंगारी रामधन का पूरा में पाल बस्ती में कुलदीप पाल के घर से होते हुए महेश पाल के घर तक मार्ग निर्माण कार्य।	900	62.99	31.49	ग्रा0अ0वि0
57	ग्राम सभा लोहन्दी प्राथमिक विद्यालय काली सडक से कमला शंकर तिवारी के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य	600	33.58	16.79	ग्रा0अ0वि0
58	ग्राम सभा व्योहरा जायसवाल नगर से अमर चन्द जायसवाल के मकान के बगल से पलाट में काली रोड का निर्माण कार्य ।	1500	116.15	58.07	ग्रा0अ0वि0
59	ग्राम पंचायत बरांव बोधा का पूरा मे काली सडक से आदिवासी बस्ती गोसाई बस्ती से होकर घईकार बस्ती तक मार्ग निर्माण कार्य।	600	40.48	20.24	ग्रा0अ0वि0
60	ग्राम सभा करमा में कटरा चैराहे से लालचन्द्र पटेल के घर तक मार्ग निर्माण का कार्य।	750	56.1	28.05	ग्रा0अ0वि0
61	ग्राम सभा तेजई का पूरा मे जगत धारी आदिवासी के घर से चन्द्रबली पटेल के घर तक मार्ग का निर्माण ।	600	37.75	18.87	ग्रा0अ0वि0
62	ग्राम सभा कैथी में बरदहा सम्पर्क मार्ग से बिनय	650	34.98	17.49	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	पाण्डेय के घर तक सडक निर्माण कार्य ।				
63	प्राथमिक विद्यालय सेमरी ता0 पुरवा मे श्यामधर कान्वेन्ट पब्लिक स्कूल से गुलहरिया (पंचायत भवन) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	400	27.58	13.79	ग्रा0अ0वि0
64	ग्राम सभा मछहर भगाही मे कमरू कुनार के घर से मुन्ना सिंह के घर तक मार्ग निर्माण कार्य।	600	34.52	17.26	ग्रा0अ0वि0
65	विकास खण्ड कौधियारा अन्तर्गत ग्राम बेलसाारा प्रा0 विद्यालय के सामने से (डाडी) बस्ती के गुडडू भारती के घर तक 700 मी0 सडक निर्माण कार्य।	700	29.41	14.7	ग्रा0अ0वि0
66	विकास खण्ड जसरा अन्तर्गत ग्राम बडा कंजासा मे काली माता मंन्दिर के बगल स्थित सरकारी जमीन पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण	1 नं0	78.49	39.24	ग्रा0अ0वि0
67	विकास खण्ड बहरिया ग्राम धरमपुर उर्फ धुरवा मनसौता के नाला पर पुलिया निर्माण कार्य।	1 नं0	13.28	6.64	ग्रा0अ0वि0
68	विधान सभा शहर पश्चिम के वार्ड नं0 -59 कथई गांव में नन्द लाल यादव के घर से इन्द्रकांत यादव के घर से होते हुए मिथलेश फौजी के घर की ओर एंव ट्रांसफार्मर चौराहे से निर्मला पाण्डेय के घर होते हुए जयसिंह यादव के घर तक इण्टरलाकिंग एंव नाली का निर्माण कायै	500	47.48	23.74	ग्रा0अ0वि0
69	ब्लाक बहरिया ग्राम पंचायत महुली मे पक्की सडक से शिव शुक्ला के घर की ओर इण्टरलाकिंग एंव नाली निर्माण कार्य।	500	34.95	17.47	ग्रा0अ0वि0
70	तहसील हण्डिया ब्लाक हण्डिया ग्राम घाटमपुर पे0 कटहरा मे श्रीपति के घर से रामचन्द्र के मन्दिर की ओर जाने वाली रोड में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	180	12.74	6.37	ग्रा0अ0वि0
	योग:		**2339.75**	**1169.77**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2027 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-040 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों की मद के नामे डाला जायेगा:-

- उक्त तालिका के **क्रमांक-1 से 7** पर इंगित कार्यों पर होने वाला व्यय रू. 87,05,000/- (रूपये सत्तासी लाख पांच हजार मात्र) को लेखाशीर्षक-5054041010302- **नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- उक्त तालिका के **क्रमांक- 8,9,10, 31 व 66** पर इंगित कार्यों पर होने वाला व्यय रू. 1,30,55,000/-(रूपये एक करोड़ तीस लाख पचपन हजार मात्र) को लेखाशीर्षक-4059608000306-**सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण** हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- उक्त तालिका के **क्रमांक-30** पर इंगित कार्य पर होने वाला व्यय रू. 34,15,000/-(रूपये चौंतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को लेखाशीर्षक-4059608000303-**अधिवक्ताओं के चेम्बरर्स/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू. 9,18,02,000/-(रूपये नौ करोड़ अठारह लाख दो हजार मात्र) को लेखाशीर्षक-5054043370301-**ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:124/2026/735(1)/35-4-2025/ 35-4002(003)/3/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/पंचायतीराज/न्याय/राजस्व विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रयागराज।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।